

प्रेषक,

डा० अम्वरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

AL करनी है।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक २। मार्च, 2025

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-93)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4084 /ई-2(ओ.एण्डएम.) /2024-25 Fin-3, दिनांक 16 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें; जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मद में रु 97997.00 लाख धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रुपये 50000.00 लाख (रुपये पांच अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/पतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा एवं इस हेतु वचन मद से पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो. इसका समस्त दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iii) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, स्वीकृत धनराशि के व्यय / उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iv) जिन मामलों में 30 प्र० वजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (viii) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2024/ वी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4- उक्त पर होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय के अनुदान संख्या- 93 के लेखाशीर्षक -4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-02-जल जीवन मिशन-0201-जल जीवन मिशन (के0 50/रा0 50-रा0)-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।
- 5- संदर्भित मामले में पुनर्विनियोग की गई धनराशि विषयक बी.एम.-9 विषयक प्रपत्र सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त संलग्न है।
- 6- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के आर.ई.संख्या-बजट-1-560 दिनांक 17.03.2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

Signed by

Ambrish Kumar Singh

Date: 21-03-2025 18:01:06

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 18 /2025/105 (1)/छिहत्तर-1-2025-क.सं.-1772430 तदिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
ओम
21/03/2025
(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-93-नमामि गांवें तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्या- 93

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पर्याप्त शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	
1	2	3	4	5	6	
लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना-01 जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति -02-जल जीवन मिशन-0201-जल जीवन मिशन (के0 50/रा0 50-रा0)-24 ग्रहण निर्माण कार्य	1029137.18	1029137.18	102003.00	50000.00	979137.18	
योग	1029137.18	1029137.18	102003.00	50000.00	979137.18	
अनुदान संख्या-93 निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण						
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावितधनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पर्याप्त उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)	
7	8	9	10	11	12	
लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना-01 जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति -02-जल जीवन मिशन-0201-जल जीवन मिशन (के0 50/रा0 50-रा0)-29 अनुरक्षण	97997.00	200000.00	102003.00	50000.00	147997.00	
योग	97997.00	200000.00	102003.00	50000.00	147997.00	

- (1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण- योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना ।
- (2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अभित अधिक व्यय का कारण यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में उक्त हेतु कोई बजटीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उतर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
- संख्या-आर.ई. संख्या-बजट-1-5660 दिनांक 17 मार्च 2025

सेवा में
प्रशासकाय (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उप0 इलाहाबाद
Signed by

(प्रशासिका) R Kumar Singh

संयुक्त सचिव,
Date: 19-02-2025 13:06:32

Signed by

Manjeet Singh

Date: 20-02-2025 18:12:34

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग

संख्या - 18/2025/1051

संख्या: A छिहत्तर-1-2025. तद्विनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, प्रयागराज, 30प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
8. गार्ड बुक।

Signed by

आज्ञा से
Om Prakash Chauhan

Date: 21-03-2025 18:23:37

(ओम प्रकाश चौहान)

अनु सचिव।